

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

//आदेश//

क्रमांक १/२३४२

जबलपुर, दिनांक ०२/०५/२०२३

रजिस्ट्री आदेश क्रमांक डी/५९४ जबलपुर, दिनांक ३१.०१.२०२३ के तारतम्य में उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर के निम्न आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्यों को निम्न तालिका के कॉलम नं. ३ में दर्शाये पदांकित पदनाम आवंटित किये जाते हैं :—

क्र.	कार्यरत नवगठित सेवा के सदस्य का नाम	पदांकित पदनाम
१	२	३
१.	श्री कमलेश कुमार	स्वीपर
२.	श्री संदीप कुमार द्विवेदी	वाटरमैन
३.	श्री राहुल प्रजापति	स्वीपर
४.	श्री राहुल कुमार	स्वीपर
५.	श्री राकेश कुमार कुशवाहा	स्वीपर
६.	श्री हृदय लाल द्विवेदी	माली

(रामकुमार चौधरी)

६ रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक १/२३४३

जबलपुर, दिनांक ०२/०५/२०२३

प्रतिलिपि :—

१. रजिस्ट्रार (प्रशा.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
२. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, जबलपुर,
३. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु,
४. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (लेखा), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
५. डिप्टी कंट्रोलर एकाउंट्स, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
६. असिस्टेंट रजिस्ट्रार स्थापना, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
७. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
८. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर(न्यायिक), स्था./लेखा/बजट/पेंशन/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
९. सहायक, स्थापना/अवकाश/सेवा पुस्तिका/वेतन पत्रक/डी.पी.एफ./प्रोटोकॉल ऑफीसर उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
१०. श्री कमलेश कुमार, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य(स्वीपर), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,

11. श्री संदीप कुमार द्विवेदी, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य(वाटरमैन), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
  12. श्री राहुल प्रजापति, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य (स्वीपर), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
  13. श्री राहुल कुमार, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य(स्वीपर), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
  14. श्री राकेश कुमार कुशवाहा, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य(स्वीपर), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
  15. श्री हृदय लाल द्विवेदी, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य(माली), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु इस निर्देश के साथ कि भविष्य में सभी आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य किसी भी प्रकार का कार्यालयीन पत्राचार पदांकित पदनाम लेख कर ही करें।

  
(विकास चन्द्र मिश्र)  
रजिस्ट्रार प्रशासन